उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील सं0– 10/2017–18

विश्वनाथ साह एवं अन्य ..... अपीलकर्ता

बनाम्

प्रकाश साह .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

19/07/2019 यह रे0मि0 अपील वाद सं0– 10/2017–18 विश्वनाथ साह एवं अन्य बनाम् प्रकाश साह एवं अन्य सा0 बीचबंधा अंचल दुमका के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 वाद सं0 62/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2017 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

मैंने अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा बीचबंधा प्रधानी मौजा है। सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रधान मौजा के रैयतों के साथ जमींन की बन्दोबस्ती कर सकते है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि 50–60 वर्षो के पूर्व अपीलकर्त्ता के दादा मोती साह जमींन को खंडित किये एवं उसमें खेती करते आ रहें है। अपीलकर्त्ता एवं उत्तरकारीगण उनके (मोती साह) के वंशज हैं। इनके दादा मोती साह द्वारा खंडित जमींन पर इनका भी दखल कब्जा है। इनकी पुष्टि मौजा के प्रधान द्वारा भी किया गया है। चुँकि अपीलकर्त्ता मोती साह के पोता है इसलिये उक्त जमींन पर इन लोगों को भी बन्दोबस्ती मिलनी चाहिए।

उत्तरकारी की ओर से बहस के दौरान कोई भी उपस्थित नहीं थे फलतः उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया किन्तु उनके द्वारा लिखित बहस दाखिल किया गया है जिसमें उनके द्वारा अपीलकर्त्ता एवं प्रधान के दावों को गलत कहा गया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में पारित आदेश एवं उपलब्ध अंचल अधिकारी, दुमका का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकाश साह, सुभाष कुमार साह, मनोज कुमार साह एवं सिकन्दर कुमार साह पिता गणेश के नाम से मौजा बीचबंधा के अनाबादी खाता सं0 08 के अन्तर्गत 04–08–15 धूर जमींन बन्दोबस्ती हेतु अंचल अधिकारी, दुमका द्वारा अनुशंसा किया गया जो जमींन सर्वे खतियान में पुरातन पतीत

बोलकर दर्ज है। अंचल अधिकारी द्वारा सभी उत्तरकारियों को बन्दोबस्ती हेतु प्रतिवेदन ट्रेस मैप के साथ भेजा गया है। इसमें इस बात जिक्र नहीं है कि मौजा प्रधानी है या खारा?

अपीलकर्त्ता का दावा है कि उनके दादा मोती साह द्वारा खंडित जमींन पर उनके सभी वंशजों का अलग–अलग दखल कब्जा है। इसकी पुष्टि मौजा के प्रधान द्वारा दाखिल आवेदन में भी की गई है। उभय पक्ष मोती साह के वंशज है किन्तु मोती साह द्वारा खंडित जमींन को उत्तरकारियों द्वारा अकेले ही बन्दोबस्त करा लिया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि उभय पक्ष मोती साह के वंशज है मोती साह द्वारा खंडित जमींन को उनके सभी वंशज अलग–अलग दखलकार हैं किन्तु उत्तरकारी प्रथम पक्ष द्वारा उक्त जमींन को बन्दोबस्त करा लिया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अतः वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ पुनर्विचार हेतु प्रेषित किया जाता है कि अपीलकर्त्ता के दावों पर स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त कर आवश्यक आदेश पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका। 10/9/19

उपायुक्त
दुमका। 10/9/19

40 11.9.19